रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरूष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सॉझी शक्ति द्वारा हिलाएं न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में ऊँची उड़ान असम्भव है।"

वर्ष –1 अंक 12 फरवरी 2008 मूल्यः 5 रू.

महिला आयोग

भारत के संविधान ने महिला–पुरूष दोनों को समान अधिकार दिए हैं। लेकिन अभी भी हर तरफ देखने और सुनने को यही मिलता है कि हमारा देश पुरूष प्रधान है। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएँ है। इनमें से बड़ी संख्या गाँवों में रहने वाली दलित, गरीब, कमजोर व अत्याचार सहन करती हुई महिलाएँ है। केवल महिला होने के नाते किए जाने वाले भेदभाव को लिंग आधारित भेदभाव कहा जाता है। इस तरह के भेदभाव से महिला का वैवाहिक जीवन बरबाद होता है, वह अपने आपको हीन मानती है। इस भेदभाव के कारण वह हर क्षेत्र में शिक्षा हो या स्वास्थ्य, समाज हो या राजनीति, हर तरह पीछे रह गई है। महिलाओं में शिक्षा, जानकारी व पैसों की कमी और पुरूष–प्रधान समाज के डर व दबाव के कारण न्याय की माँग तो बहुत दूर है, वे सोच भी नहीं पाती कि उनके भी समान अधिकार हैं। अगर लाखों में से कोई एक हिम्मत कर अपने अधिकार माँगने की बात करने लगती है तो परिवार, समाज व पुलिस बीच रास्ते में ही डरा धमकाकर उसे चुपचाप अन्याय सहने को मजबूर कर देते हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के नेतृत्व में महिला को पुरूष के समान अधिकार दिलाने के लिए चार विश्व महिला सम्मेलन हुए। पहला 1975 में मेक्सिको, दूसरा 1980 कोपनहेगन, तीसरा 1985 नैरोबी और चौथा 1995 में बीजिंग में हुए। इन सम्मेलनों में लगभग 200 देशों ने महिला–पुरूष समानता के लिए अपने–अपने देशों में महिला नीति बनाकर महिला आयोग बनाए। भारत ने भी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया। इसके बाद भारत सरकार ने 1998 में राज्य स्तर के महिला आयोग बनाए लेकिन अभी भी ज्यादातर महिलाओं को महिला आयोग की जानकारी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 'बरली की दुनिया' के इस अंक में महिला आयोग से जुड़ी हुई जानकारियाँ जैसे महिला आयोग क्या है? इसके क्या काम है? महिलाएँ किस तरह से महिला आयोग तक पहुँच सकती हैं लेकर आपके पास आ रही है। हमें विश्वास है कि आप अपने आसपास की महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देंगे और हर पीड़ित महिला को न्याय पाने के लिए महिला आयोग तक पहुँचने में सहयोग देंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य संविधान में दिए गए महिलाओं के लिए बने कानूनों व अधिकारों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं। यह पूरे देश के लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोग को निगरानी, जाँच, देखरेख तथा कार्यवाही करने के अधिकार हैं। इसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के काम नीचे लिखे हैं:

- संविधान व कानूनों में दिए गए महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना। अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपायों की खोज करना।
- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हो रहे काम के बारे में हर साल केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देना।
- केन्द्र सरकार को दी गई रिपोर्टों में महिलाओं की हालत को सुधारने के लिए राज्यों से कानूनों को लागू करने के लिए सिफारिश करना।
- महिलाओं को संविधान में दिए गए अधिकारों व कानूनों का समय समय अध्ययन करना।
- कानूनों में पायी गई कमियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाना।
- महिलाओं के लिए बने कानूनों के दुरूपयोग के मामलों को अधिकारियों के सामने लाना।

नीचे दिए गए विषयों पर शिकायत की जाँच करता है –

- महिलाओं के संरक्षण और समानता तथा विकास के लिए बने कानूनों को लागू नहीं किया गया हो।
- महिलाओं की समस्याओं को कम करने, उनका विकास निश्चित करने तथा उनके विकास के लिए दिया गया रूपया उन तक पहुँचाने के लिए नीति में बताए नियमों का पालन नहीं किया गया हो।

नीचे दी गई समस्याओं को सरकारी अधिकारियों के सामने लाता है–

- महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार के कारण पैदा हुई समस्याओं का पता लगाना। उनके विकास के आड़े आने वाले कारणों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को सिफारिश करना।
- महिलाओं का विकास और शिक्षा के आड़े आने वाले कारणों का पता लगाना जैसे– रहने की जगह, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिला का कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और काम से संबंधित तकनीकी ज्ञान की कमी आदि।
- महिलाएं सभी क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व कर सकें इसके लिए महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना बनाने में भाग लेना।
- राज्य की महिलाओं के विकास व प्रगति का मूल्यांकन करना।
- महिला जेल, महिला उद्धारगृह, अनाथालय, सुधारगृह या सुरक्षा गृहों का निरीक्षण करना या राज्य से करवाना। जाँच में पाई गई समस्याओं के लिए उस विषय से जुड़े अधिकारियों से बातचीत करना।
- महिलाओं की समस्याओं से संबंधित मुकदमों के लिए रूपया देना।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार

राष्ट्रीय महिला आयोग जाँच के समय मामले से जुड़े देश के किसी भी जगह से दोनो पक्षों में से किसी भी पक्ष के इंसान को आदेश पत्र देकर बुलवा सकता है। मामले से संबंधित किसी भी तरह का लिखित कागजात आयोग के सामने रखने के लिए आदेश दे सकता है। देश के किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी फोटोकापी की माँग कर सकता है। मामले से जुड़े गवाह, प्रमाणों से संबंधित कागजात को आयोग के सामने रखने के लिए आदेश देता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय दिल्ली में है। आयोग में शिकायत करने के लिए नीचे दिए पते पर लिखे –

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली–110002 फोनः 011– 23237166

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया है। राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और सलाहकार के रूप में काम करता है। इसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं। राज्य स्तर पर इस आयोग को निगरानी, जाँच, देखरेख तथा कार्यवाही करने के अधिकार हैं। इसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है।

राज्य महिला आयोग के काम नीचे लिखे हैः

- महिलाओं के साथ जिन कारणों से भेदभाव हो रहा है उन कारणों को खत्म करना है। महिलाएं सम्मान से जी सकें और अपना विकास कर सकें इसके लिए महिलाओं को विकास के समान अवसर दिलाना।

- संविधान में दिए गए महिला अधिकारों तथा कानूनों के पालन का ध्यान रखना और यदि पालन नहीं हो रहा तो उसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को देना।
- महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना तैयार करने में भाग लेना व सलाह देना। राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना जिसमें महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु–दर तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से कम विकसित आदिवासी जिलों तथा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
- किशोरी लड़कियों को स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक केन्द्र के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा पहुँचाना।
- सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों में सुधार के प्रयास करना और नियमित स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण संबंधित साहित्य प्रकाशित करवाना।
- गरीब महिलाओं को कानूनी सलाह और सहायता देने के लिए राज्य के स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना।
- छोड़ दी गई, बेसहारा तथा ऐसी महिलाएँ जिन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है उन्हें न्याय दिलवाना तथा उनके रहने तथा सुरक्षा की व्यवस्था सुनिष्चित करना।
- महिला थानों, जेलों, महिला उद्धार, अनाथालय, सुधार गृह, नारी गृह महिला एवं बाल गृह और अस्पतालों में महिलाओं के मानव अधिकारों की सुरक्षा करना।
- अस्पतालों, मानसिक चिकित्सा, रिमांड होम और संरक्षण गृहों का निरीक्षण करना।
- महिलाओं को जागरूक करने के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और अत्याचार करने वाले के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने में लोगों की मदद करना।

निम्नलिखित के संबंध में गहन अध्ययन करना :

- कारखानों में, निर्माण से जुड़े क्षेत्र जैसे रास्ता बनाने, बड़े–बड़े मकान बनाने का काम करने वाली महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सिफारिश करना।
- गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे का जन्म या नसबंदी करवाने के समय इलाज व देखभाल ठीक से न मिलने के मामले।

नीचे दिए गए अत्याचारों एवं अपराधों पर शिकायतें प्राप्त कर जल्दी से कार्यवाही करना :

- महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रसव से जुड़ी सुविधाएं न मिलने पर।
- प्रदेश में महिला नीति का पालन न किया गया हो।
- महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, विवाह, तलाक और दहेज के कारण मानसिक व शारीरिक रूप से सताया जाना, छेड़छाड़, बलात्कार की शिकायत मिलने पर।
- महिलाओं के साथ काम की जगहों पर होने वाले यौन उत्पीडन, यौन शोषण।
- सामाजिक और सांस्कृतिक रीति–रिवाजों के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले जैसे सती प्रथा, डायन प्रथा और देवदासी प्रथा आदि।
- घरों में काम करने वाली महिलाओं के साथ शोषण।
- अपहरण, अनैतिक व्यापार, देह व्यापार से संबधित मामले।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति व छात्रावास संबंधी मामले।
- स्वास्थ्य संबंधी योजना जैसे गर्भावस्था, बच्चे का जन्म, नसबंदी करवाते समय इलाज और एड्स के इलाज में लापरवाही की हो।
- लिंग भेदभाव, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, पारिवारिक हिंसा, नवजात लड़की की हत्या, गर्भ में लड़की की हत्या, बाल विवाह, तलाक के बाद भरण–पोषण के मामले।

राज्य महिला आयोग के अधिकार

राज्य महिला आयोग जाँच के समय मामले से जुड़े राज्य के किसी भी जगह से दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष के इंसान को आयोग आदेश पत्र देकर बुलवा सकता है। मामले से संबंधित किसी भी तरह का लिखित कागजात आयोग के सामने रखने के लिए आदेश दे सकता है। राज्य के किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी फोटोकापी की माँग कर सकता है। मामले से जुड़े गवाह, प्रमाणों से संबंधित कागजात को आयोग के सामने रखने के लिए आदेश दे सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यालय भोपाल में है। आयोग में शिकायत करने के लिए नीचे दिए पते पर लिखें –

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग,
35 राजीव गांधी भवन, खण्ड–2, श्यामला हिल्स,
भोपाल (म.प्र.) फोन नं. – (0755) 2661802

छत्तीसगढ़ राज्य राज्य महिला आयोग का कार्यालय रायपुर में है। आयोग में शिकायत करने के लिए नीचे दिए पते पर लिखें–

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, एच. आय. जी.
10, कविता नगर, अवंति विहार, रायपुर 492001
फोन नं. – (0771) 4023996

महिला आयोग में शिकायत करने का तरीका

जिस महिला के साथ अन्याय हुआ है वह महिला खुद या उसके रिश्तेदार आयोग से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत डाक, तार, फैक्स, कोरियर से भेज सकते हैं या लिखित शिकायत खुद जिले के महिला परामर्श केन्द्र में, राज्य महिला आयोग के कार्यालय में या राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली के कार्यालय में मिलकर दे सकते हैं। महिला के लिए सुविधाजनक यह होगा कि वह जिले के महिला परामर्श केन्द्र में अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि मामले की सुनवाई के समय वह आसानी से उपस्थित हो सकें।

शिकायत करते समय ध्यान रखने वाली बातें

- शिकायत करने वाले के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
- शिकायत हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में हो।
- शिकायत करने वाले का पता स्पष्ट लिखा हो।
- घटना एक साल पहले की हो और शिकायत अभी की जा रही हो या मामला पहले से ही न्यायालय में चल रहा हो, शिकायत करते समय झूठे नाम का उपयोग किया गया हो तो आयोग सुनवाई नहीं करता।

मामले की सुनवाई

आयोग के पास शिकायत पहुँच जाने के बाद उसे रजिस्टर में लिख लेती है उसके बाद वह मामला या केस कहलाता है। मामला किस तरह का है इसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के बाद आयोग मामले को संबंधित विभाग को भेजता है उसके बाद कार्यवाही की जाती है। आयोग किसी भी तरह के मामले पर विचार करते समय जरूरत के अनुसार कानूनी सलाहकार और विषय विशेषज्ञ की सलाह लेता है। मामले से संबंधित दोनों पक्षों से बात की जाती है, बयान लिए जाते हैं। दोनों पक्षों को आमने सामने लाकर बात करवाई जाती है और निर्णय दिया जाता है। आयोग की कार्यवाही से दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को लगता है कि अन्याय हुआ है तो वे अदालत जा सकते हैं और आयोग के निर्णय की प्रति भी ले सकते हैं। यदि महिला अदालत में जाना चाहती है और उसके पास रूपये नहीं है तो आयोग कानूनी सलाह की सहायता करवाता है।

महिला आयोग का पारिवारिक महिला अदालत

महिला आयोग ने काम करते समय अनुभव किया कि शिकायत करने वाले ज्यादा हैं और महिला आयोग सभी शिकायत सुन नहीं पा रही है। इसलिए विवाह के अंदर होने वाले झगड़े, घरेलू झगड़े, दहेज की माँग, पति और ससुराल द्वारा सताया जाना आदि अदालत के बाहर पुलिस थाने में दर्ज किए बिना निपटाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने हर राज्य में ''पारिवारिक महिला अदालत'' के नाम से महिला लोक अदालत बनाए हैं। इस काम को सफल बनाने के लिए उच्च न्यायालय, कानूनी सहायता समितियाँ/बोर्ड, राज्य सरकारों और स्वयं सेवी संस्थानों से सहायता ली गई। इन अदालतों में उन लोगों के कानूनी मामलों को शामिल किया गया जो निचले और जिला अदालतों में काफी लंबे समय से चल रहे थे, जिसमें महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले शामिल है।

समाज में समानता होगी तो ही महिला आयोग सफल होंगे

महिला और पुरूष से परिवार बनता है। परिवारों से समाज बनता है। यदि परिवार में महिला को लेकर भेदभाव होगा तो समाज पर भी असर होगा। परिवार में जैसी शिक्षाएं दी जाएंगी वैसा ही समाज बनेगा। इसलिए परिवार में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे समाज की एकता, शांति और प्रेम बना रहे, जैसे समानता, एकता, न्याय, प्रेम, ईमानदारी, मित्रता आदि। इन शिक्षाओं को पाकर इंसान अपने और अपनों के लिए बनाए गए कानूनों और अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं करेगा। सभी में एक समान सोच बनेगी। लड़का और लड़की दोनों को बराबर शिक्षा और अवसर मिलेंगे। महिला और पुरूष के विकास में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी स्त्री–पुरूष की समानता दिलाने के उद्देश्य से बने महिला आयोग सफल हो सकेंगे। बहाई लेखों के अनुसार ''मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरूष, दूसरा स्त्री, जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक साँझी शक्ति द्वारा हिलाए न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में ऊँची उड़ान असम्भव है।''

मानवता तभी विकास कर सकेगी जब महिला–पुरूष में समानता होगी। यह तभी हो सकता है जब महिला–पुरूष दोनों को बराबर अधिकार मिलें। महिला और पुरूषों के गुण और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। महिला के बिना पुरूष और पुरूष के बिना महिला अधूरी है। महिला और पुरूष दोनों का विकास में समान योगदान होगा तभी समाज में समानता

होगी। जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागृत होगी, किसी के डराने धमकाने से नहीं डरेगी, आवाज जोरदार कर अन्याय के लिए महिला आयोग तक जाएगी तो ही महिला आयोग भी सफल होंगे।

संस्थान के समाचार

आदिवासी छात्र–छात्राओं का समूह संस्थान में

भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर द्वारा इंदौर संभाग के आदिवासी युवाओं के लिए विशेष तौर पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र व छात्राओं का एक समूह 5 फरवरी 2008 को बरली संस्थान देखने

आया। उन सभी ने संस्थान के गतिविधियों की जानकारी ली। धार जिले के राकेश कनासे ने कहा कि ''संस्थान में चल रही गतिविधियाँ बहुत अच्छी है और महिलाओं की उन्नति में सहायक है। इन गतिविधियों के बारे में मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बताऊंगा ताकि मेरे क्षेत्र की महिलाएं भी इस संस्थान से प्रशिक्षण लेकर अपने जीवन का विकास कर सके।'' श्री राम सिंह मुजाल्दे ने कहा कि वह संस्थान के सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में अपने गाँव में बताएंगे ताकि गाँव के लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें।'' झाबुआ जिले के श्री देवीसिंह मौर्य ने कहा कि संस्थान में गाँव की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। खरगोन की कुमारी पेमल खोड़े ने कहा कि, संस्थान की गतिविधियों को देखकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसके बारे में वह अपने क्षेत्र में जाकर बताएगी।

इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यापक व छात्र संस्थान में

16 फरवरी को इंदौर के ट्रूबा इंजीनियरिंग कॉलेज से 60 छात्र व 10 अध्यापक और 22 फरवरी को खंडवा के एस. डी. आय. टी. एस. इंजीनियरिंग व अक्षय एनर्जी क्लब से 9 लोग इस तरह से 79 लोग दो समूहों में संस्थान में सौर ऊर्जा का उपयोग देखने आए। संस्थान के प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने सभी को संस्थान में चल रहे सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में स्लाइडस के माध्यम से

प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन सौर ऊर्जा की जानकारी देते हुए

जानकारी दी और संस्थान का सोलर किचन, बाटिक–ब्लॉक प्रिटिंग में लगे सोलर कुकर, संस्थान परिसर में लगे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर ड्रायर चलते हुए दिखाए। संस्थान में केवल 100 रूपये की लागत से पुष्टे पर ॲल्युमिनियम फोयल लगाकर बनाए गए। कुकर पर चावल, चाय बनाई। सौर ऊर्जा के उपयोग देखने के बाद प्राध्यापक श्रीमती वंदना शर्मा व अक्षय ऊर्जा क्लब की समन्वयक डॉ. (श्रीमती) सपना अरगारे ने कहा कि ''संस्थान हमें सौर ऊर्जा को रोज के जीवन में उपयोग करने के लिए

प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन सौर ऊर्जा की जानकारी देते हुए

प्रेरित करता है।'' छात्र–छात्राएं सौर ऊर्जा का उपयोग होते देखकर बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने जाते हुए कहा कि वे अपने महाविद्यालय में सौर ऊर्जा पर प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन का व्याख्यान चाहते हैं।

होली फेमिली कानवेंट स्कूल में संस्थान की निदेशिका विशेष अतिथि

9 फरवरी 2008 को होली फेमिली कानवेंट स्कूल के वार्षिक उत्सव में संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ''बच्चों के संपूर्ण विकास के

लिए भौतिक व आध्यत्मिक दोनों तरह की शिक्षाएं जरूरी हैं। इस विकास में माता–पिता के बाद शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चे कुशल और नेक हो तो वे समाज और दुनिया के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने छात्र व छात्राओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र भेंट किए।''

खरगोन जिले की कु. अमिता मोरे बनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता

खरगोन जिले की कु. अमिता मोरे ने नवंबर 2006 से मई 2007 में संस्थान में छह माह का सामुदायिक स्वयं सेविका का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद अब वह मुंडिया के महाराज फलिया में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता है। अमिता ने बताया ''जब मै प्रशिक्षण लेने आई तब मै स्कूल छोड़ चुकी थी पर प्रशिक्षण ने मुझे फिर से पढ़ने का मौका दिया। प्रशिक्षण के दौरान मुझे सहयोगी के रूप में पढ़ाने का मौका दिया जिससे मेरा आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ी। प्रशिक्षण लेकर जब मैं घर गई तब मैंने आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया। आज मैं आँगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम कर रही हूँ। मुझे संस्थान के प्रशिक्षण का बहुत फायदा हुआ। जन्म से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी चलाती हूँ उसमें बच्चों को पोषक आहार खिलाती हूँ। समय–समय पर बच्चों का वजन लेती हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि उनका विकास ठीक हो रहा है या नहीं। आँगनवाड़ी में दस्त, बुखार, खाँसी, जुकाम, कटना, जलना, फोड़े, कृमि आदि की दवाइयाँ होती है इन दवाइयों का उपयोग गाँव के लोग करें इसके लिए घर–घर जाकर जानकारी देती हूँ। माँ और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए घर–घर जाकर जानकारी लेती हूँ और यही आँगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी है जिसे मै बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ। मै आँगनवाड़ी में संस्थान की ''आओ स्वास्थ्य पढ़ाना सीखें'' किताब का उपयोग करती हूँ।''

विस्तार केन्द्र का नया प्रशिक्षण केन्द्र इच्छापुर में

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान का विस्तार केन्द्र कांकेर, छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। विस्तार केन्द्र में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। समय–समय पर जरूरत के अनुसार अलग–अलग गाँव की महिलाओं तक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पहुँचाया जाता है। कांकेर जिले के इच्छापुर गाँव में 8 फरवरी 2008 को संस्थान के विस्तार केन्द्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इच्छापुर गाँव के उपसरपंच श्री रामू कांगे ने कहा कि ''गाँव के लिए बहुत खुशी की बात है कि विस्तार केन्द्र गाँव के आसपास की महिलाओं को आगे बढ़ाने व उनके विकास के लिए काम कर रहा है। उन्होंने गाँव की बहू–बेटियों से कहा कि केन्द्र में मन लगाकर सीखें और सीखने के बाद अपने घर परिवार के लोगों को भी शिक्षित करें।''

विस्तार केन्द्र समिति के सदस्य श्री मोतीराम यादव ने कहा कि ''मनुष्य को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से परिपूर्ण एक खान समझो केवल शिक्षा ही उनके कोषों को उजागर कर सकती है।'' ईश्वर ने हम सभी को जन्म से ही क्षमताएं दी हैं। शिक्षा की कमी और सिखाने वालों की कमी के कारण हम अपने अंदर के गुणों का विकास नहीं कर सकते हैं। बरली ग्रामीण विस्तार केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण देकर उनका विकास व सशक्तिकरण करने का काम सही मायने में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।''

पेराडाईस स्कूल, भण्डारीपारा के प्रबंधक श्री धीरज कुमार रजक ने कहा कि आज स्कूली शिक्षा के अलावा हमें कला कौशल का ज्ञान देना जरूरी है। विस्तार केन्द्र में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ उन्हें 'स्वास्थ्य शिक्षा', 'मेरा अपना और अपने समुदाय का विकास' की भी शिक्षा दी जाती है जिससे महिलाएं अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व आर्थिक रूप से जागरूक होकर जनभागीदारी में अपना योगदान दे सकती हैं।''

पूर्व माध्यमिक शाला इच्छापुर के शिक्षक श्री पंचम दुग्गा ने कहा कि ''संस्थान द्वारा प्रकाशित स्वास्थ्य और कटाई–सिलाई की पुस्तक गाँव की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की खास बात है कि इसमें प्रशिक्षक के गुणों की बात और चर्चा की जाती है जो किसी और प्रशिक्षण में नहीं की जाती है।''

विस्तार केन्द्र की प्रभारी कु. लता यादव ने संस्थान का परिचय देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विस्तार केन्द्रों की शुरूआत 18 मई 2006 से हुई है। शुरूआत में बेवरती और मोहपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते थे और अभी कांकेर के पेराडाईज स्कूल भण्डारीपारा परिसर में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन विस्तार केन्द्रों का उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं इंदौर संस्थान में प्रशिक्षण लेने नहीं पहुँच पाती वे अपने गाँव के विस्तार केन्द्र में प्रशिक्षण लेकर विकास कर सकती हैं।

विस्तार केन्द्र की प्रशिक्षणार्थी कु. बृजबन्ती कांगे ने अनुभव सुनाते हुए कहा कि 'मैं बरली ग्रामीण महिला विस्तार केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। केन्द्र में अलग–अलग गाँवों से आई प्रशिक्षणार्थियों के साथ सीखना अच्छा लगता है। मैं इस प्रशिक्षण के बारे में अपने परिवार के लोगों को बताऊंगी और सिलाई का काम करके परिवार को आर्थिक मदद दूंगी।'' कार्यक्रम का संचालन इच्छापुर गाँव की प्रशिक्षिका कु. सोनवती नेताम ने और आभार सहायक प्रशिक्षिका कु. सरिता यादव ने किया।

संस्थान में माता पिता की बैठक

16 व 17 फरवरी 2008 को बरली संस्थान में प्रशिक्षण ले रही बहनों के माता–पिता के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें झाबुआ, खरगोन, देवास, बड़वानी और इंदौर जिले के 25 गाँवों से प्रशिक्षणार्थियों के 76 रिश्तेदारों ने भाग लिया। निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन ने सभी का स्वागत किया और बैठक में आने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन तीन महीनों के प्रशिक्षण के बाद अपनी बेटियों में जो बदलाव माता–पिता ने देखा है, उसके बारे में बताएं और संस्थान के लिए सुझाव दें।

कार्यक्रम अधिकारी अर्चना मारगोनवार ने बैठक का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण शुरू होने के तीन महीने बाद माता–पिता की बैठक बुलाई जाती है ताकि वे अपनी बेटियों में प्रशिक्षण के दौरान आए बदलाव को देख लें। पहले दिन माता–पिता संस्थान में प्रशिक्षण के तरीके को देखते हैं और समझते है कि बेटियाँ किस तरह से इन विषयों को सीखती हैं। माता पिता ने एक दिन पूरा प्रशिक्षण देखने के बाद यह महसूस किया कि यह प्रशिक्षण उनकी बेटियों के जीवन के पग–पग पर सहायता करेगा। कक्षा के समय प्रशिक्षणार्थियों ने संस्थान की पुस्तकों, अपने हाथ से सिले कपड़े, लिखी कापियाँ, फाईलें और ड्राफ्ट अपने माता–पिता को दिखाए। रात में माता–पिता को रोज के काम के बारे में और तीन महीने के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बारे में संस्थान के प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने स्लाइडस के माध्यम से फोटो दिखाए। अपनी बेटियों को बागवानी, साफ–सफाई, सौर कुकर पर खाना बनाते, पढ़ना–लिखना, कटाई–सिलाई सीखते देखकर खुश हुए। दूसरे दिन ट्रेनिंग इंचार्ज श्रीमती ढेड़ी बागदरे ने 'एड्स' विषय पर जानकारी दी।

माता पिता ने अपने अनुभव सुनाए। झाबुआ जिले की कु. अनिता डावर के पिताजी श्री नारायण डावर ने कहा कि ''मेरी बेटी पढ़ नहीं पाई थी पर वह अब पढ़ लिख रही है। उसमें मुझे हर तरह का बदलाव देखने को मिला है। मैं अपने क्षेत्र की अन्य लडकियों को भी भेजूंगा जो स्कूल नहीं गई है।'' झाबुआ जिले की कु. रेवली डावर के पिताजी ने कहा कि ''श्रीमती ढेड़ी डावर जो संस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है वह हम सभी के लिए उदाहरण है। उसी को देखकर हमने भी अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा है ताकि वह अपना विकास करें।'' बड़वानी जिले की श्रीमती वेस्तीबाई के पति श्री मोहन मोरे ने कहा कि ''मेरी पत्नी को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था। इस संस्थान में उन्हें यह अवसर मिला, वह यहाँ पढना लिखना और व्यावसायिक पाठयक्रम सीख रही है। जो उसके आगे के विकास के लिए काम आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ सभी एक परिवार की तरह रहते हैं और अनुशासित हैं।'' खरगोन जिले की कु. भूरी मुझाल्दे के भाई श्री भारत मुझाल्दे ने कहा कि ''घर में मेरी बहन किसी से भी बात करने में शरमाती थी परंतु अब वह सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रही है देखकर खुशी हो रही है।'' इंदौर जिले की कु रिंकू बडोले की माता श्रीमती मनु देवी ने कहा कि '' यहाँ पर आकर उनकी बेटी के रहन सहन में बदलाव के साथ ही आत्मविश्वास बढ़ गया है। यहाँ का वातावरण और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है।''

सभी प्रशिक्षणार्थियों के माता–पिता ने अपनी बेटियों के उत्साह, लगन और बदलाव को देखकर अपनी खुशी जाहिर की।

संस्थान में स्वयंसेविकाएं

कु. नसीम इक्वाडोर से और कु. शबनम ग्वाटेमाला से संस्थान आई और उन्होंने संस्थान में 15 दिनों की सेवा दी। उन्होंने साक्षरता पाठ्यक्रम के लिए चित्र, मोती की मालाएँ, कान के झुमके आदि बनाना सिखाया। नसीम ने कहा कि ''मै संस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया और मुझे काम करने में बहुत मजा आया। संस्थान महिलाओं के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है।

नसीम

षबनम ने कहा कि ''संस्थान में सेवा देनेा का मौका मिला वह मेरे लिए एक सच्चे आशीर्वाद की तरह है। इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रशिक्षणार्थियों के साथ बिताया गया समय बहुत आनंददायक रहा। सीखते सिखाते और बात करते समय इनकी आँखों में जो खुशी दिखती है वह अमूल्य है।''

शबनम

स्वास्थ्य मेला में भाग लिया

23–24 फरवरी 2008 तक बाल विनय मंदिर इंदौर में दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन चिकित्सा, शिक्षा और ऊर्जा मंत्री डॉ. शेजवार और सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य सभी को स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क देना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना था। मेले में संस्थान की कार्यकर्ता श्रीमती ढेडी बागदरे व कु. रेखा सिन्हा ने बरली संस्थान का स्टॉल लगाया जिसमें स्वास्थ्य पुस्तिका ''आओ स्वास्थ्य पढ़ाना सीखें'' व स्वास्थ्य से जुड़े ''बरली की दुनिया'' के अंक रखे गए। स्वास्थ्य मेले में आने वाले ज्यादातर गाँव के लोगों ने स्वास्थ्य पुस्तिका व पत्रिका में दी गई जानकारी को देखा व पढ़ा।

किशोरी बालिका प्रशिक्षण शिविर में निदेशिका

इंदौर के न्यू माडल पब्लिक स्कूल, पटेल नगर खजराना क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास परियोजना द्वारा 28–29 फरवरी को किशोरी बालिका प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने उद्बोधन में निदेशिका ने पोषक आहार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया और देश कितना आगे बढ़ रहा है यह वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य और ख़ुशहाली से पता चलता है। पोषण का मतलब स्वस्थ रहने के लिए सही खाना, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में और सही प्रकार खाना है। बच्चों को सही पोषण देना माता–पिता की जिम्मेदारी है। बचपन में पोषण के प्रति ध्यान नहीं दिया तो बच्चों में पोषण की कमी हो जाती है जिसके कारण बच्चे कमजोर होते हैं और बीमारी के चपेट में आते है। किशोर बालिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि किशोरियों के खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कमजोर लडकियाँ कमजोर माताएं बनती हैं। जिसके कारण उनके बच्चे कमजोर पैदा होते है और बड़े होने के बाद भी कमजोर ही रहते हैं। किशोर बालिकाओं को पोषक आहार देना चाहिए जिससे प्रदेष की मातृ मृत्यु व षिषु मृत्यु दर कम हो सके।

इस पत्रिका के प्रकाषन में सहयोगी
सुश्री अर्चना मारगोनवार, राकेष गुप्ता व श्री जिम्मी मगिलिगन

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

_____

_____

_____

_____

विशेष सूचना

प्रशिक्षण लेकर आप स्वयं के लिए, अपने परिवार और अपने गाँव के लिए जो भी काम कर रहे हों, हमें जरूर लिखकर भेजें ताकि आपके समाचार ''बरली की दुनिया'' में छाप सकें।

संपादक ''बरली की दुनिया''
बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान
180, भमोरी, न्यू देवास रोड़,
इंदौर–452010 (म.प्र.) फोन : 0731–2554066

रजि. न. **MPHIN / 2007 / 22179**

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाषित
मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863/9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन